संख्या- 141/2015/481/22-4-15-80(2)/2000

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक-20 जुलाई, 2015**

विषय- कारागार विभाग के बंदीरक्षक संवर्ग के कार्मिकों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 12717/उद्योग-6/132/2010, दिनांक- 09.04.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार विभाग के बन्दीरक्षक संवर्ग के कार्मिकों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिये जाने हेतु मैनुअल के प्रस्तर-1293 से 1298 में आवश्यक संशोधन करते हुए उ0प्र0 जेल नियम संग्रह संशोधन नियमावली-2014 अधिसूचना सख्ंया-1553/22-4-14-80(2)/2000, दिनांक- 18 दिसम्बर, 2014 द्वारा जारी की जा चुकी है।

2- अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त संशोधन नियमावली में विहित व्यवस्था के अनुसार कारागार विभाग में कार्यरत बन्दीरक्षक संवर्ग के कार्मिकों को वर्दी के स्थान पर रू0 4800/- भर्ती के समय एवं रू0 1800/- प्रतिवर्ष वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार-51-वर्दी व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-279/दस-2015, दिनांक 22 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 141/2015/481(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in